(13)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : मनोज गोयल,
प्रशासकीय सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 2206–दो/2014, विरूद्ध आदेश दिनांक 29–05–2014 पारित द्वारा न्यायालय राजस्व निरीक्षक वृत गोराघाट, जिला–दतिया द्वारा प्रकरण कमांक 45/अ–12/2013–14

1– जितेन्द्र अवयस्क पुत्र गोटीराम द्वारा संरक्षक
पिता गोटीराम पुत्र लटोरे

2– गोटीराम पुत्र लटोरे
निवासीगण ग्राम–सीतापुर तह0 व जिला–दतिया

..... आवेदकगण

विरूद्ध

धनीराम तनय बाबूलाल कुशवाह
निवासीगण ग्राम–सीतापुर तह0 व जिला–दतिया

..... अनावेदक

.....

श्री एस0के0 वाजपेयी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री के0के0 द्विवेदी, अभिभाषक, अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 14/01/15 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय राजस्व निरीक्षक वृत गोराघाट, जिला–दतिया द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–05–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम सीतापुर, तह0 व जिला–दतिया स्थित आवेदकगण की भूमि सर्वे क्रमांक 360/1, 360/2, 363, 366 एवं 367 है, जो अनावेदक की भूमि सर्वे क्रमांक 368 से लगी है । अनावेदक द्वारा सीमांकन हेतु एक आवेदन पत्र दिनांक 22.05.2014 को राजस्व निरीक्षक के समक्ष प्रस्तुत किया गया है ।

राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रकरण क्रमांक 45/अ–12/2013–14 पंजीबद्ध किया जाकर, प्रकरण में दिनांक 29.05.2014 मेडिया कृषकों को सूचना हेतु नियत की गयी । राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 29.05.2014 को ही सीमांकन का अंतिम आदेश पारित कर दिया गया । उक्त पारित आदेश दिनांक 29.05.2014 से परिवेदित होकर आवेदकगण द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष पेश की गई है ।

3/ आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा लिखित तर्को में मुख्य रूप से यह बताया गया है कि आवेदकगण द्वारा अपने पुनरीक्षण आवेदन पत्र में वर्णित तथ्यों के अतिरिक्त अन्य आधार अपने प्रकरण के समर्थन में वर्णित किये जा रहे है, जो प्रकरण में निराकरण हेतु आवश्यक है। संहिता की धारा–129 के अंतर्गत सीमांकन करने का विचाराधिकार तहसीलदार को दिया गया है शासन ने यदि राजस्व निरीक्षक को सीमांकन हेतु तहसीलदार के अधिकार प्रदान किये है तब राजस्व निरीक्षक के लिये यह आवश्यक है कि वह संहिता की धारा–41 के अंतर्गत राजस्व न्यायालयों की कार्यवाही एवं प्रक्रिया संबंधी निर्मित नियमों का पालन करें एवं संहिता के अनुच्छेद –1 में पक्षकारों को सूचना एवं सूचना पत्र के निर्वाह हेतु विहित की गयी प्रक्रिया का अक्षरशः अनुसरण करें एवं उसके पश्चात ही कोई कार्यवाही अथवा आदेश पारित करें । राज्य शासन ने तहसीलदार के अधिकार राजस्व निरीक्षक को दिये है परन्तु राजस्व निरीक्षक को यह छूट नहीं दी गई है कि उनके लिये धारा–41 एवं अनुच्छेद –1 द्वारा विहित प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक नहीं है आवेदक का निवेदन है कि इस वैधानिक आपत्ति एवं तर्क पर विधि के प्रावधानों की विवेचना करते हुये निर्णय दिया जाये । लिखित तर्क में यह भी कहा गया है कि राजस्व निरीक्षक की आदेश पत्रिका के अवलोकन से ही स्पष्ट है कि उन्होंने अपने कार्यालय में बैठकर संम्पूर्ण कार्यवाही की है । दिनांक 22.05.2014 को कार्यवाही स्थापित की गयी तथा 29.05.2014 नियत कर आसपास के कृषकों को सीमांकन हेतु सूचना देने के निर्देश दिये, दिनांक 29.05.2014 को तथाकथित सीमांकन किया जाना लिखते हुये उसी दिन अंतिम आदेश भी पारित कर दिया या अर्थात् सीमांकन पर कोई आपत्ति करने का अथवा सुनवायी का अवसर ही नहीं उपलब्ध हो सका, ऐसी कार्यवाही एवं आदेश निरस्त किये जाये । आवेदक ने अपनी भूमि के सीमांकन हेतु दिनांक 11.07.2014 को आवश्यक राशि 250 रुपये चालान द्वारा जमा की थी तथा सीमांकन किये जाने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था क्योंकि अनावेदक, आवेदक की भूमि पर आधिपत्य संबंधी विवाद उत्पन्न कर रहा था जिस पर आजतक कोई कार्यवाही नहीं की गयी । अनावेदक को अवैध लाभ

करने के लिये बिन्दू स्थापित करने के पूर्व यह जानने का प्रयास नहीं किया कि क्या आवेदक की भूमि का क्षेत्रफल खसरे के अनुसार कितना है तथा क्या आवेदक का आधिपत्य स्वत्व से अधिक भूमि पर है जो कि अनावेदक की भूमि है । यदि किसी व्यक्ति के सीमांकन आवेदन पर सीमांकन की कार्यवाही की जाती है तब सीमा चिन्ह स्थापित करने के पूर्व यह देखा जाना आवश्यक है कि उस व्यक्ति की भूमि के आसपास लगी हुयी भूमि के भूमि स्वामियों के आधित्य में उनके स्वत्व के अनुसार भूमि है अथवा अधिक भूमि है। अंत में आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा राजस्व निरीक्षक द्वारा किये गये विवादित सीमांकन पारित आदेश निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है ।

4/ अनावेदक के अभिभाषक द्वारा लिखित तर्को में मुख्य रूप से यह बताया गया है कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय के राजस्व निरीक्षक वृत गोराघाट तहसील व जिला दतिया द्वारा सीमांकन कार्यवाही कर जो आदेश दिनांक 29.05.2014 को पारित किया है । वह विधिवत एवं सही होने से स्थिर रखे जाने योग्य है । आवेदकगण द्वारा अपने पुनरीक्षण ज्ञापन में यह आपत्ति ली है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा मेडिया कृषकों को कोई सूचना पत्र जारी नहीं किया और न ही उन्हें आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर ही दिया गया । ऐसी स्थिति में उपरोक्त सीमांकन विधिवत् नहीं होने से निरस्त किये जाने का आधार लिया गया है । जबकि वास्तविकता यह है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा आवेदकगण को विधिवत सूचना पत्र सीमांकन कार्यवाही के संबंध में जारी किया गया था और जो उनको प्राप्त हुआ था । इस संबंध में उपरोक्त सूचना पत्र राजस्व निरीक्षक के अभिलेख में उपलब्ध है । ऐसी स्थिति में उक्त आधार पर अनावेदक के हित में की गयी सीमांकन कार्यवाही को अपास्त नहीं किया जा सकता है। आवेदकगण की ओर से पुनरीक्षण ज्ञापन के आधार क्रमांक 5 में यह उल्लेख किया है, कि विवादित सीमांकन से आवेदकगण की भूमि प्रभावित हुयी है । आवेदकगण की भूमि का क्षेत्रफल कम हो गया है, आवेदकगण की भूमि में अनावेदक का कोई अंश नहीं है । उपरोक्त आधार का जवाब इस प्रकार है कि जो सीमांकन किया गया है। उसमें आवेदकगण की कोई भी भूमि प्रभावित नहीं हुयी है, बल्कि अनावेदक की जो भूमि अवैध रूप से आवेदकगण द्वारा अतिक्रमण किया गया था, वह उपरोक्त सीमांकन के माध्यम में स्पष्ट हो गयी है । ऐसी स्थिति में अनावेदक द्वारा कराये गये सीमांकन को किसी भी स्थिति में अवैध नहीं माना जा सकता है । आवेदकगण द्वारा पुनरीक्षण ज्ञापन के आधार क्रमांक 6 में यह उल्लेख किया है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा किये गये सीमांकन से जिन व्यक्तियों की भूमि प्रभावित होती है । उनके द्वारा यह जानने का प्रयास नहीं किया

स्थिति में उपरोक्त आधार पर सीमांकन कार्यवाही को अवैध नहीं माना जा सकता है । लिखित तर्क में यह भी कहा गया है कि सीमांकन कार्यवाही का उद्देश्य मात्र इतना सा है कि व्यथित व्यक्ति को उसकी भूमि की वास्तविकता से अवगत कराना होता है । इस प्रकरण में अनावेदक द्वारा भूमि के सीमांकन के संबंध में जो आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था, उसके आधार पर वास्तविक स्थिति का अवलोकन कर सीमांकन कार्यवाही की गयी है । ऐसी स्थिति में अनावेदक की सीमांकन कार्यवाही को अवैध नहीं माना जा सकता है । आवेदकगण की भूमि यदि प्रभावित हो रही है, तो वह अपनी भूमि के संबंध में सीमांकन कराये जाने हेतु आवेदन पत्र दे सकता है । जो उसके द्वारा नहीं दिया गया, अपनी भूमि का सीमांकन कराये जाने का भूमि स्वामी अधिकार है, और वह अपनी भूमि का सीमांकन कराकर सीमाज्ञान से अवगत हुआ है ऐसी स्थिति में राजस्व निरीक्षक द्वारा किये गये सीमांकन को किसी भी स्थिति में अवैध नहीं माना जा सकता है । राजस्व निरीक्षक द्वारा संहिता की धारा 129 में बनाये गये प्रावधानों पर विधिवत विचार करने के पश्चात सीमांकन कार्यवाही की गयी है । ओर यदि आवेदकगण के कोई भी हित उपरोक्त सीमांकन से प्रभावित होते है, तो उन्हें स्वतंत्रता है कि वह अपनी भूमि का सीमांकन विधिवत रूप से कराये । अंत में अनावेदक के अधिवक्ता द्वारा निगरानी खारिज किया जाकर राजस्व निरीक्षक वृत गोराघाट द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया गया है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश का सूक्ष्मता से अध्ययन किया गया। रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने आवेदक को सीमांकन से पूर्व विधिवत सीमांकन के समय उपस्थित रहने की सूचना दी थी जो उसने लेने से इंकार किया । ऐसी स्थिति में सीमांकन के दौरान अपनी आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर उसके द्वारा स्वयं ही खोया गया तथा अब इस स्टेज पर वह इसका लाभ नहीं ले सकता । आवेदक यह भी इस न्यायालय में बताने में असफल रहा है कि उक्त सीमांकन आदेश में उसकी कौन से सर्वे नं0 की कौन सी भूमि कितनी प्रभावित हुई है । सीमांकन की प्रक्रिया में किस प्रकार की त्रुटि हुई है यह भी नहीं दर्शाया गया है । उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में यह निगरानी आधारहीन होने से अमान्य की जाती है ।

(मनोज गोयल)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर